संख्या: 5 /2021/146 /35-3-2021-1(32)/2016

प्रेषक,

डा. संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आर्थिक बोध एवं संख्या,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनउ: दिनांक: 23 मार्च, 2021

विषय: गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से सैलरी मद (ओएच 36) एवं सामान्य मद (ओएच-31) के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश (क्रमश: रू0 39.00 लाख एवं रू0 29.00 लाख) कुल रू0 68.00 लाख के समतुल्य राज्यांश की धनराशि रू. 68.00 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 983/ले.-91/2004(2)दिनांक 19-01-2021 एवं पत्रांक 1095/ले.-91/2004(2)दिनांक 15-02-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक-5-11/2020 आर.आई.सी. दिनांक 02.06.2020 तथा पत्रांक-5-11/2020 आर.आई.सी. दिनांक 01.07.2020 द्वारा वर्ष 2020-21 में स्वीकृत सैलरी मद (ओएच 36) की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त धनराशि क्रमश: रू; 26.00 लाख एवं रू; 13;00 लाख और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक-5-11/2020 आर.आई.सी. दिनांक 31.08.2020 तथा पत्रांक-5-11/2020 आर.आई.सी. दिनांक 24.09.2020 द्वारा वर्ष 2020-21 में स्वीकृत सैलरी मद (ओएच 36) की तृतीय एवं चतुर्थ किस्त के रूप में प्राप्त धनराशि क्रमश: रू; 13.00 लाख एवं रू; 16.00 लाख अर्थात प्राप्त कुल धनराशि रू. 68.00 लाख (रूपये अडसठ लाख मात्र)केन्द्रांश की धनराशि के समतुल्य मेचिंग राज्यांश की धनराशि रू. 68.00 लाख की वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्ध बजट व्यवस्था में से निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत/ अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
2. अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. कोषागार में उतनी ही धनराशि समय-समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो, कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवश्यकता का आंकलन/परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण् हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

4. उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अवमुक्त की जा रही राज्यांश धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निधारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।
5. इस अनुदान पर राजज्ञा संख्या-ए-2364/दस-17/2(1)/67,दिनांक 20 जुलाई,1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
6. उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगे तथा उनका निरीक्षण, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगे, किया जायेगा।
7. संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2020-21 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
8. उपर्युक्त मद पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020 -21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अधीन लेखाशीर्ष " 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय -05- गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान- सामान्य(गैर वेतन) " के नामें डाला जायेगा।
9. स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018दिनांक 01सितम्बर,2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार अनुमन्य/ अनुमोदित मदों में ही किया जायेगा।

2- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5- 423 /दस-2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा. संजीव भरद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 5 (1) /2021/146(1)/35-3-2021-1(32)/2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या,लखनऊ।
7. अर्थ एवं संख्याधिकारी,लखनऊ।
8. सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,पोस्ट बाक्स नं.10580, अरूणा आसफ अली मार्ग,नई दिल्ली।
9. निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. नियोजन अनुभाग-1
12. गार्ड फाइल/ स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,

(डा. संजीव भरद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।